फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

हिमाशु पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक मनफुलसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

किस्म निगरानी : नियम 30 (नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों) के अंतर्गत
अपील संख्या 08 / 2015 **GCMS No. 2015 / 00051**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05.06.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट अपीलांट एवं अभिभाषक नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर उपस्थित। निगरानीकर्त्ता ने यह निगरानी प्लाट नंबर 11 वाके चक 5 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नंबर 4 के संबंध में प्रस्तुत की है। जिसका साईज 67.5X30 है। वरवक्त बहस पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया की निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं अधीनस्थ कार्यालय सचिव नगर विकास न्यास पत्रावली में उल्लेखित आदेश की प्रति संलग्न नहीं है एवं सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की नोट शीट में भी आदेश को अंकन नहीं है। अतः मूल आदेश ही नहीं होने से यह निगरानी राजस्थान राजस्व कोर्ट मैन्युअल के अंतर्गत पोषणीय ही नहीं है। अतः निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (वंदना सिंघवी) संभागीय आयुक्त बीकानेर	